न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट/पदेन सहायक कलक्टर सीमलवाडा, डूंगरपुर

प्रार्थी या अभियोक्ता [illegible] कोदर [illegible] (4) [illegible]

अप्रार्थी [illegible] कोदर [illegible] पटेल [illegible] (4) [illegible]

किस्म मुकदमा 39 [illegible] 1-2 [illegible]

पत्रावली संख्या: 37/2018 (2018/[illegible])

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 27/2/2020 [illegible] पेश हुई। उभय पक्षों के उप। प्रार्थी [illegible] के एडवोकेट श्री [illegible] द्वारा [illegible] निवेदन किया है कि अप्रार्थीगण के अर्थ आदेश [illegible] के लिये [illegible] किया जाना आवश्यक है कि ग्राम [illegible] में खसरा सं. 79 के [illegible] 17 [illegible] 0-04 बिस्वा व खाता सं. 33 के [illegible] 1-11 बिस्वा में [illegible] है। जिसमें खाता सं. 79 वर्तमान में अप्रार्थी [illegible] के नाम दर्ज है एवं खाता सं. 33 वर्तमान में अप्रार्थी [illegible] के नाम दर्ज है। [illegible] अदालत में उपस्थित अप्रार्थी के [illegible] बीज [illegible] नहीं [illegible] मिला [illegible] व [illegible] के [illegible] की [illegible] के उपखण्ड अधिकारी [illegible] में [illegible] करने में [illegible] प्रार्थी [illegible]। इसके उभय पक्ष [illegible] [illegible] गया। उक्त प्रार्थना [illegible] स्थित [illegible] होने से [illegible] [illegible] को [illegible] निर्णय [illegible] आदेश [illegible] है। [illegible] में [illegible] है।	

उप खण्ड मजिस्ट्रेट
सीमलवाडा

Scanned with CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2020.03.06 13:36:38 IST
Reason: SelfAttested